संख्या: 2 /2022/462-3/39(1)/पैतीस-2-2022

प्रेषक,

जयवीर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या प्रभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 29 अप्रैल, 2022**

विषय- प्रथम वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में जिला योजना संरचना (जिला योजना समिति) हेतु चार माह के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्रथम चार माह हेतु **"जिला योजना संरचना (जिला योजना समिति)" हेतु** प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष संलग्न विवरण के अनुसार रू0 6.00 लाख (रू0 छः लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदया प्रदान करती है।

2- स्वीकृत धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 में उल्लिखित प्राविधानों/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- जिला योजनाओं की स्वीकृतियां सीधे संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों को जारी की जाय तथा उनकी प्रतियां संबंधित जिलाधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों को भी पृष्ठांकित की जाय। इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित मदों के समक्ष अंकित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- विभागाध्यक्षों एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा। यदि संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर है तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के अहारण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धक (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट {HYPERLINK "http://shasanadesh.up.gov.in"} से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7- वस्तुओं के क्रय करते समय उत्तर प्रदेश स्टोर पर्चेज रूल्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाय।

8- व्यय प्रबन्धन धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

9- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-040 के लेखाशीर्षक "3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-001-निदेशन एवं प्रशासन-06-जिला योजना की संरचना (जिला योजना समिति) के अन्तर्गत मानक मद-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओ के लिए भुगतान एवं मानक मद-42- अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29.03.2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(जयवीर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 2/2022/462-3/39(1)/पैतीस-2-2022-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जयवीर सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट {HYPERLINK "http://shasanadesh.up.gov.in"} से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या: 2/2022/462-3/39(1)/पैतीस-2-2022 **दिनांक अप्रैल, 29 2022 का संलग्नक**

(ख) अनुदान संख्या-40, लेखाशीर्षक-3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सॉख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सॉख्यिकी-001-निदेशन एवं प्रशासन-06-जिला योजना की संरचना (जिला योजना समिति) के अन्तर्गत मानक मद-16-व्यसायिक तथा विशेष संवाओं के लिए भुगतान एवं 42-अन्य व्यय

(धनराशि लाख रूपयों में)

मानक मद	**वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु स्वीकृत कुल आय-व्ययक**	**वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम चार माह (अप्रैल से जुलाई 2022 तक) हेतु लेखानुदान के माध्यम से प्रस्तावित धनराशि**
1	2	3
16-व्यसायिक तथा विशेष संवाओं के लिए भुगतान	1.50	0.50
42-अन्य व्यय	16.50	5.50
योग राजस्व व्यय	**18.00**	**6.00**

(रू0 छः लाख मात्र)

(जयवीर सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट {HYPERLINK "http://shasanadesh.up.gov.in"} से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट {HYPERLINK "http://shasanadesh.up.gov.in"} से सत्यापित की जा सकती है ।